भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

समक्ष : माननी राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालि॰

535
निगरानी /2018 निगरानी - 5725/2018/सागर/भू.रा.

रावर्ट विल्सन वल्द लुवस गोड निवासी नेपाल पैलेस डा0 हरिसिंह गोड वार्ड सिविल लाइन्स सागर म.प्र0 ।

...........आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक सागर–1 तहसील सागर म.प्र.

....................अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मण्डल सागर –1 तहसील सागर जिला सागर म.प्र. के राजस्व प्रकरण क 31/2017–18 मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 4.1.2018 के विरूद्ध।

श्रीमान जी ,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि–

1. यहकि, आवेदक भूमि मोजा बाधलौन पटवारी हल्का नं 39 राजस्व निरीक्षक मण्डल सागर–1 के समक्ष उक्त भूमि सर्वे कमाक 300/1 एंव सर्वे क 300/2 कुल रकवा 1.900 हे0 भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु विधिवत फीस चालान जमा करके अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2017 को प्रस्तुत किया गया जिस आवेदन पत्र पर से राजस्व निरीक्षक सागर–1 द्वारा प्रकरण क 31/2017–18 पर दिनांक 1.1.2018 को प्रकरण दर्ज किया जाकर हल्का पटवारी सरहदी कास्तकारो कृषक को सीमांकन कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश जारी हुआ जिस आदेश पर से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी सरहदी कृषको को दिनांक सीमांकन किये जाने हेतु सूचना पत्र. जारी की गई जिसमे सीमाकन किये जाने की दिनांक 6.1.2018 नियत की गई परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सीमांकन पहले की आलोच्य आदेश दिनांक 4.1.2018 को वगैर आवेदक को सुनवाई का मोका दिये मनमाने पूर्ण तरीके से पहले ही दिनांक 4.1.2018 को ही सीमांकन किया गया उसके वाद वाकी कार्यवाही फर्जी तरीके से सम्पन की गई ।

2. यहकि, उक्त सम्पूर्ण सीमांकन की कार्यवाही फर्जी है क्योकि आवेदक द्वारा दिनांक 6.1.2018 के पचनामा से ही स्पस्ट है जिसमे आवेदक को दिनांक 6.1.2018 के पंचनामा पर हस्ताक्षर कराये गये जवकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही 4.1.2018 को एक मनगढ़त वनावटी फर्जी आवेदक के हस्ताक्षर वनाकर पंचनामा तैयार करा लिया जिस पर आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर है इसलिये उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही आवेदक की अनुपस्थिति मे की गई है जो उचित एंव सही सीमांकन नही है इसलिये उक्त आलौच्य निरस्त योग्य

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5725/2018/सागर/भू.रा. रावर्ट विल्सन विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल सागर के प्रकरण क्रमांक 31/अ-12/2017-18 सीमांकन आदेश दिनांक 04-01-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 25/01/19 सदस्य	